पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-06.04.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सत्यदेव नारायण आर्य, स०वि०स० श्री रामचन्द्र सहनी, स०वि०स० श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स०	"नालंदा जिला के राजगीर विधान सभा क्षेत्र के गिरियक, सिलाव तथा राजगीर प्रखंडों में मुख्य मंत्री चापाकल योजना (विधायक कोटा) अन्तर्गत कनीय अभियंता उपेन्द्र कुमार केसरी तथा सहायक अभियंता श्री राजेन्द्र पासवान, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, राजगीर (नालंदा) मनमाने ढंग से चापाकल गड़वा रहे है । क्षेत्रीय विधायक द्वारा अनुशंसित स्थान पर नहीं गाड़कर अन्यत्र गाड़ दिया गया है । साथ ही एकरारनामा के मुताबिक स्वीकृत गहराई के जगह मात्र 80 फीट पाईप ही गाड़ा गया जो आई.एस. आई. मार्का भी नहीं है, यहां तक कि चापाकल स्थल पर प्लेटफार्म भी नहीं बनाते हैं । अतः उनके द्वारा किये गये चार वर्षों के कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	डा० प्रमोद कुमार सिंह, स०वि०स० डा० इजहार अहमद, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री गिरिधारी यादव, स०वि०स० श्री जनार्दन मांझी, स०वि०स०	''बिहार बंटवारा के बाद बिहार राज्य का आधार कृषि ही रह गया जिसके कारण सरकार ने कृषि पर ध्यान केंद्रित कर कृषि रोड मैप बनाया । राज्य के किसानों को उन्नत बीज, यंत्र, जैविक खाद, पौधे एवं अनाज के बीज उपलब्ध हों, इसके लिए अनुदान की व्यवस्था की गयी परंतु कैमूर जिला में अनुदान का लाभ किसानों को नहीं देकर अधिकारियों एवं बिचौलियों द्वारा बंदरबांट कर लिया गया । कृषि यंत्र का वितरण वास्तविक किसानों को नहीं कर फर्जी सूची के आधार पर कर दिया गया । वर्मी कम्पोस्ट बना ही नहीं और अनुदान हड़प लिया गया । एक ही व्यक्ति को वर्मी कम्पोस्ट तथा अन्य यंत्रों पर हर वर्ष अनुदान दिया जाना दर्शाया गया है । यही हाल सामुदायिक नर्सरी योजना, मूंग वितरण योजना आदि का भी है । यह स्थिति न सिर्फ कैमूर की है बल्कि पूरे राज्य की है । अतः कैमूर सहित राज्य के अन्य जिलों में कृषि यंत्रों, वर्मी कम्पोस्ट, मूंग वितरण आदि योजनाओं की जांच कराये जाने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	कृषि

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/15- 607 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04 अप्रील, 2015 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग तथा कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/4/15
(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-16/15- 607 / वि०स०, पटना, दिनांक- 04 अप्रील, 2015 ई० ।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

4/4/15
(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।